संख्याः 184 /XXVI/एक(10)/ 2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग। देहरादून, दिनांकः 13 अक्टूबर, 2009

विषयः **राज्य योजना आयोग के भवन के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

नियोजन विभाग के शासनादेश सं0–285/XXVI/एक(10)/2005, दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 एवं पत्रांक–72/XXVI/एक(10)/2005, दिनांक 19 मार्च, 2008 तथा शासनादेश सं0–151/XXVI/एक(10)/2005, दिनांक 29 सितम्बर, 2009 द्वारा योजना भवन के निर्माण से पूर्व आर्किटेक्चर ड्राईंग, भवन के डिज़ाइन तैयार करने तथा भूमि की भार वहन क्षमता के परीक्षण हेतु धनराशि रू0 5.15 करोड़ (पांच करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) व्यय हेतु स्वीकृत की गई थी। उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजना आयोग के भवन के निर्माण हेतु पूर्ण निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0 9.85 करोड़ (रूपये नौ करोड़ पिचासी लाख मात्र)** व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित् प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैंः–

1– धनराशि व्यय करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित् कर लिया जाएगा कि उक्त कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि वास्तव में व्यय योग्य है एवं मितव्ययता संबंधी शासन के आदेशों के अनुरूप है तथा व्यय की जा रही धनराशि पर सक्षम स्तर का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया गया है। स्वीकृत धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कर दी जाएगी।

2– ऊर्जा विभाग के शासनादेश संख्या 838/I/2004–05/100/02 दिनांकः 28.12.2004 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में भवन की डिज़ाइन/आर्किटेक्चर में ऊर्जा संरक्षण हेतु सौर ऊर्जा आधारित वास्तुकला का समावेश किया जाए।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एम0ए0/सिविल डिपॉज़िट में पार्क नहीं की जायेगी तथा यथा आवश्यकता आहरित की जायेगी।

4– भवन हेतु भूकम्परोधी तकनीकी/डिज़ाइन का समावेश अवश्य किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेन्ट रूल्स–2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.12.2009 तक करके उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में **अनुदान संख्या–7** के अधीन लेखाशीर्षक–"**4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80 सामान्य–800–अन्य भवन–आयोजनागत–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं–0101–12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य अवस्थापना विकास–24–वृहत निर्माण कार्य**" के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के पत्र सं0–330NP/XXVII(5)09 दिनांकः 12 अक्टूबर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्याः 165 (1)/**XXVI**/एक(10)/ 2005 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अधीक्षण अभियंता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0 बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।